संख्याः 538/XVIII(2)/2010–1(109)/09

प्रेषक,

एस0के0मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 13 अगस्त,2010

विषयः–कार्तिकेय रिसोर्ट एण्ड हॉस्पिटैलिटी प्रा0 लि0, दिल्ली को ग्राम चौखुटा पट्टी, पूर्वी आगर, तहसील धारी, जिला नैनीताल में 0.280 है भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–519/12–ज्येड०ए०सी०/2009 दिनांक–30.9.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, कार्तिकेय रिसोर्ट एण्ड हॉस्पिटैलिटी प्रा0 लि0, दिल्ली को ग्राम चौखुटा पट्टी, पूर्वी आगर, तहसील धारी, जिला नैनीताल में 0.280 है भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154 (4)(3)(क)(II)के अन्तर्गत तथा पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड शासन की सहमति के क्रम में, जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अधीन, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा –129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (होटल कम रिसोर्ट की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगें।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित

.....2

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, यथाशीध्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0प0सं0–538/सम्दिनांकित 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2– प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड शांसन।
3– आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4– श्री मनोज वर्मा, पुत्र श्री ए0आर0वर्मा, निदेशक, कार्तिकेय रिसोर्ट एण्ड हॉस्पिटैलिटी प्रा0 लि0, गीता कालोनी, 70 कुन्दन नगर, नई दिल्ली–92।
5– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6– प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।